1

परिचय

कोटा राजस्थान के दक्षिणी–पूर्वी भाग हाड़ौती का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है जो कि माध्य समुद्र तल से 253.3 मीटर की ऊंचाई पर चम्बल नदी के किनारे 25°11' उत्तरी अक्षांश एवं 75°51' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह राजस्थान की मुख्य नदी चम्बल के किनारे पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह संभागीय एवं जिला मुख्यालय है। यह नगर जयपुर, दिल्ली, मुम्बई एवं देश के अन्य सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नगरों से बड़ी रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुडा हुआ है। यह दिल्ली मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन का एक प्रमुख जंक्शन है तथा दिल्ली से लगभग 470 कि.मी. एवं मुम्बई से लगभग 920 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कोटा–चित्तौड़–नीमच एवं कोटा–बीना बड़ी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण देश के सभी प्रमुख नगरों से इसका सीधा सम्पर्क है। राज्य की राजधानी जयपुर से यह नगर 240 कि.मी. दूरी पर रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। जयपुर– जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 कोटा नगर के बीच से होकर गुजरता है जिसका बाईपास निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 पिण्डवाड़ा–कोटा–शिवपुरी नगर को दक्षिण राजस्थान, गुजरात एवं मध्यप्रदेश से सीधा सम्पर्क प्रदान करता है।

नगर के बीचों–बीच हवाई अड्डा है जहाँ से वर्तमान में हवाई सेवा संचालित नहीं होती है। यहाँ पर सम्भाग स्तर एवं जिला स्तर के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित है।

नगर के दक्षिण में तेज ढलान वाला पठारी क्षेत्र व उत्तर में समतल उपजाऊ भूमि है। यह चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित है एवं दायीं मुख्य नहर नगर को दो भागों में विभक्त करती है। दायीं मुख्य नहर के उत्तर की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। चम्बल नदी के पश्चिम में अधिकांश विकास बायीं मुख्य नहर के उत्तर की ओर हो रहा है। नगर में पानी का निकास दक्षिण से उत्तर की ओर है एवं विभिन्न नाले चम्बल नदी में मिलते है। नगर का सामान्य ढलान उत्तर व उत्तर–पूर्व की ओर है। कोटा नगर की सामान्य जलवायु शुष्क एवं गर्म है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम दैनिक औसत तापमान 39° से0 रहता है। सर्दियों में औसत अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 25° और 11° से0 रहता है।

लगभग 680 वर्ष पूर्व कोटा, भील आदिवासियों की एक छोटी सी आबादी थी, जहाँ पर मिट्टी की झोंपड़ियाँ एवं एक छोटा सा किला था। इसका नाम भीलों के मुखिया कोटिया के नाम पर रखा गया था। चौदहवीं शताब्दी (लगभग सन् 1342) के मध्य में बून्दी के हाड़ा राजपूतों ने जीतकर लगभग दो शताब्दी बाद चम्बल नदी के किनारे एक किला बनाया। आबादी के विस्तार के साथ उत्तर एवं पूर्व में और परकोटे बनवाये गये। तत्कालीन समय में भौतिक अवरोधों के कारण नगर का विस्तार पश्चिम एवं दक्षिण में नहीं हुआ।

रेलवे, जल व्यवस्था, बिजलीघर, हवाई अड्डा इत्यादि के विकास के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक कोटा नगर ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, जब परकोटे के बाहर इसका विस्तार शुरू हुआ। उत्तर में कोटा जंक्शन के नजदीक भीमगंजमण्डी क्षेत्र विकसित हुआ। आबादी के बाद देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी कोटा आये। उत्तर में कोटा जंक्शन एवं पूर्व में गुमानपुरा के समीप इन शरणार्थियों को बसाने के लिये नये आवासीय क्षेत्र विकसित किये गये। चम्बल परियोजना के प्रथम चरण में

सन् 1961 में कोटा बैराज एवं गांधी सागर बांध के पूर्ण होने से इस क्षेत्र को नये आर्थिक अवसर उपलब्ध हुए। दक्षिण–पूर्व में कन्सुआ ग्राम के समीप एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ। कोटा का विकास जो कि चम्बल नदी व रेलवे लाईन के मध्य उत्तर–दक्षिण अक्ष पर हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ–साथ पूर्व–पश्चिम अक्ष पर शुरू हुआ। इसके बाद दक्षिण में झालावाड़ सड़क पर इन्स्ट्रूमेंटेशन फैक्ट्री एवं इसकी आवासीय कॉलोनी विकसित हुई। इसके उपरान्त अधिकांशतः विकास दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन व रावतभाटा सड़क के मध्य राजस्थान आवासन मण्डल व नगर विकास न्यास द्वारा नियोजित रूप से जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध थी, पर हुआ। विगत् 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास की निजी क्षेत्र में भागीदारी से नियोजित रूप में विकास हेतु टाउनशिप पॉलिसी जारी किये जाने के फलस्वरूप नगर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निजी कृषि भूमि पर तेजी से नगर का विस्तार हुआ। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में सिवायचक भूमि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप लखावा व रानपुर क्षेत्र तथा नगर के पश्चिम में नान्ता व राम नगर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनाओं का विकास कार्य हाथ में लिया गया। रीको द्वारा रानपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया।

कोटा की जनसंख्या 1901 में 33,657 थी, जो बढ़कर सन् 1971 में 2,12,991 हो गई। तीव्र नगरीय विकास एवं औद्योगिकरण से 60 के दशक में नगरीय विकास की विभिन्न समस्याऐं सामने आईं। नगरीय विकास एवं जन सेवाओं का विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में पिछड़ गया। इस समय यह महसूस किया गया कि नगर के योजनाबद्ध विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाये। अतः राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 उपधारा (1) के अन्तर्गत् राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 1977 की अनुपालना में 50 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कोटा नगर का प्रथम मास्टर प्लान बनाया गया। यह मास्टर प्लान वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए क्षितिज वर्ष 1991 के अनुमानों पर तैयार किया गया था। वर्ष 1991 में नगर

विकास न्यास, कोटा को वन विभाग से प्राप्त भूमि को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.01.1992 द्वारा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा बढ़ा दी गयी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10 (105) न.वि.आ. /3/91 दिनांक 28/12/91 द्वारा कोटा मास्टर प्लान की अवधि को वर्ष 2001 तक के लिये बढ़ा दिया गया। इसके पश्चात् भी अपरिहार्य कारणों से कोटा नगर के मास्टर प्लान की अवधि समय–समय पर राज्योंदेशों द्वारा 30 सितम्बर 2003 तक बढ़ाई गयी। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान नगर का विकास अधिकांशतः दक्षिण में झालावाड़ सड़क व रावतभाटा सड़क के मध्य नगर विकास न्यास एवं आवासन मण्डल की उपलब्ध भूमि पर हुआ।

कोटा की जनसंख्या वर्ष 1971 में 2,12,991 थी, जो बढ़कर 1981 में 3,58,241, 1991 में 5,37,371 एवं वर्ष 2001 में 6,94,316 हो गयी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर एवं विकास की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए कोटा को दिल्ली महानगर का काउण्टर मैग्नेट नगर चयनित किया गया।

राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियिम 1959 की धारा 3 की उप धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2001 को अधिसूचना जारी कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा का नया मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया। कोटा के मास्टर प्लान हेतु 64 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गयी जिसके अन्तर्गत कुल 125000 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल थी। कोटा मास्टर प्लान 2023 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 15.04.2005 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

विगत् दशक में नगर विकास न्यास को बड़ी मात्रा में राजकीय भूमि हस्तान्तरित हुई है, जिसके फलस्वरूप नगर के दक्षिण में लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की गई। नगर के पश्चिम में नान्ता व राम नगर क्षेत्र में भी नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की

गयी। उक्त अवधि में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान में नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन भी किये गये। राज्य सरकार द्वारा कोटा नगर में आई.आई.आई.टी. की स्थापना की घोषणा की गयी। कृषि महाविद्यालय स्थापना की भी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना की गयी। रानपुर क्षेत्र में रीको की योजना में कई अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है एवं दो विश्वविद्यालय प्रस्तावित हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 के दक्षिण में बाईपास निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि अन्तिम चरण में है। नगर विकास न्यास द्वारा उत्तरी बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि बाराँ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27) को केशवरायपाटन मेगा हाईवे (1–ए) से जोड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दरा अभयारण्य क्षेत्र की स्थापना की घोषणा भी की गयी है। नगर निगम सीमा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। इस दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 2/2/2010 द्वारा कोटा के नगरीय क्षेत्र में 30 राजस्व ग्राम, (कोटा जिले के 22 राजस्व ग्राम, बून्दी जिले के 8 राजस्व ग्राम) एवं राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 13.08.2010 द्वारा बून्दी जिले के 3 राजस्व ग्राम कोटा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। अतः कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 64 से बढ़कर 97 हो गई।

उपरोक्त के दृष्टिगत नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा मास्टर प्लान–2023 के पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके क्रम में उप शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 10(19)नविवि/3/12 दिनांक 02.11.2012 द्वारा कोटा नगर के मास्टर प्लान का सम्पूर्ण कार्य (रिव्यू / नया मास्टर प्लान बनाने) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोटा मास्टर प्लान–2031 तैयार करने हेतु भौतिक व अन्य

सर्वेक्षण तथा मास्टर प्लान कार्य सलाहकार फर्म 'आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा' को सौंपा गया।

इस दौरान नगर नियोजन विभाग द्वारा कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कैथून नगर पालिका क्षेत्र का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया जाकर दिनांक 16.05.2013 को प्रकाशन किया गया। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं उत्तरी बाईपास प्रस्ताव के दृष्टिगत पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 97 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त 22 राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र सीमा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक समझा गया, ताकि नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके। इस प्रकार कुल 119 राजस्व ग्राम कोटा मास्टर प्लान की नगरीय सीमा में सम्मिलित किये गये हैं।

कोटा नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 6,94,316 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10,01,365 हो गई है एवं वर्ष 2001 से 2011 की वृद्धि दर 44.22 प्रतिशत रही है। कोटा नगर का नया मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए बनाया जाना प्रस्तावित है। कोटा नगर की वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 21 लाख अनुमानित की गयी है। आगामी दो दशकों में नगर की कुल वृद्धि दर लगभग 43.80 व 45.83 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। कोटा नगर का कुल औसत नगर घनत्व 27 व्यक्ति प्रति एकड़ के अनुमान से वर्ष 2031 तक नगर के भावी नगरीय विकास हेतु लगभग 76,490 एकड़ नगरीयकरण योग्य भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 38,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का अधिकांश भावी विकास नगर के पूर्व में रेलवे लाईन व बाईपास के मध्य, बाराँ सड़क के उत्तर में तथा नगर के पश्चिम में बून्दी सड़क के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में एवं दक्षिण दिशा में रावतभाटा सड़क व झालावाड़ सड़क के मध्य लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में होने की अधिक सम्भावना है।

नगर की परिधि में अवांछनीय विस्तार पर नियंत्रण की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान–2031 के लिए कुल 119 राजस्व ग्रामों (जिसमें 108 राजस्व ग्राम कोटा

जिले के व 11 राजस्व ग्राम बून्दी जिले के) को कोटा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट–1दिनांक 04/09/2013 द्वारा अधिसूचित किया गया। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,98,000 एकड़ होगा।

विभिन्न सिविक एवं भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर नगर मानचित्र, विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र 2011 तैयार किये गये हैं। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 है। अतः वर्ष 2031 तक नगर की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना मानदण्डों के अनुसार आवश्यक भूमि का अनुमान एवं प्रस्तावित स्थल निर्धारण आदि किया गया है। इन सभी अध्ययनों के आधार पर मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक की विभिन्न नगरीय गतिविधियों की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है।

यह प्रारूप मास्टर प्लान नगर के सभी गणमान्य नागरिकों के अवलोकन हेतु जारी किया जा रहा है, जिससे इस पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जा सकें। आशा है कि निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सभी संगठन, प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिक तथा जन साधारण मास्टर प्लान के अध्ययन के पश्चात् अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।